भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1795**

**28 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: संवहनीय खेती**

**1795. श्री राजमणि पटेलः**

**श्री विजय पाल सिंह तोमरः**

**श्री हरनाथ सिंह यादवः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) कितने प्रतिशत किसान स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त उत्पादन करते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास उस स्तर से नीचे के किसानों की सहायता करने हेतु कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्व में उठाए गए विभिन्न कदमों से कृषि तथा उद्योग की स्थिति और अधिक असमान हो गई है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) देश में कृषि परिवारों की स्‍थिति का एक सघन मूल्‍यांकन प्रदान करने के लिए, राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) समय-समय पर ‘कृषि परिवारों का स्‍थिति मूल्‍यांकन सर्वेक्षण (एसएएस)’ का संचालन करता है। 2013 में किये गये नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, अधिकांश कृषि परिवार जिनके पास 0.40 है. से भी अधिक भू-जोतें हैं, ने अपनी आय के मुख्‍य स्रोत के रूप में खेती की सूचना दी है। तथापि, ऐसे किसान जो अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्‍त उत्‍पादन करते हैं, की प्रतिशतता पर विशिष्‍ट आंकड़ा सर्वेक्षण में उपलब्‍ध नहीं है।

(ख) चूंकि कृषि राज्‍य का विषय है, अत: यह राज्‍य सरकार की जिम्‍मेदारी है कि वह संबंधित राज्‍य में कृषि के विकास के संबंध में उचित उपाय करें। तथापि, भारत सरकार विभिन्‍न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्‍वयन के माध्‍यम से उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। अनेक योंजनाओं के माध्‍मय से कृषि परिवारों की विभिन्‍न श्रेणियों को सहायता दी जा रही है यथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वी भारत में हरितक्रान्‍ति लाना (बीजीआरईआई), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड, राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) आदि। सरकार बागवानी, पुष्‍प कृषि आधुनिकी प्रौद्योगिकीयों एवं व्‍यवसायों को अपनाने, परंपरागत फसलों से कृषि परिवारों की आय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में समान बहु-फसली एवं एकीकृत खेती की पद्यतियों को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने फसलों की अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत के स्‍तर पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) को निर्धारित करने के सिद्धांत को अपनाया है।

इसके अतिरिक्‍त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण लोगों को लाभान्‍वित करने के लिए महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्‍टी अधिनियम एवं अन्‍य योजनाओं को क्रियान्‍वित किया जा रहा है जिसमें रोजगार के सृजन एवं जिविका के अवसरों के माध्‍यम से कृषि कार्मिक शामिल है। इन योजनाओं को कृषि परिवारों की आय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्‍य से तैयार किया गया है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार कृषि को और लाभप्रद बनाने एवं तत्‍पश्‍चात किसानों के बीच इसके आकर्षण में वृद्धि करने पर ध्‍यान केंन्‍द्रित कर रही है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्‍न उपायों का लक्ष्य किसानों के निवल मुनाफे में सुधार लाना है ताकि कम लागत पर उच्‍चतर पैदावार करने के लिए उन्‍हें सामर्थवान बनाया जा सके तथा बेहतर बाजार मूल्‍यों से वे लाभान्‍वित हो सके। तथापि, देश में कुल सकल मूल्‍यवर्धन के अनुपात के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्‍यवर्धन में विगत वर्षों में गिरावट हुई है, जिसे आर्थिक विकास पद्धति का प्राकृतिक सहगामी के रूप में माना जाता है।

\*\*\*\*\*